ग्राम पंचायत बणी, विकास खण्ड प्रागपुर,जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बणी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति बक्शीश कुमारी	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री ध्यान सिंह	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री महेश कुमार	1-4-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बणी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7 (iii)	मस्टरोल में पाई गई विसंगतियां	----
2	7 (iv)	निविदाओं के बिना क्रय करना	----
3	7 (v)	भण्डार रजिस्टरों का उचित रख रखाव न करना	----
4	9	गृहकर की वसूली हेतु लम्बित राशी	0.27
5	10	अनुदान का उपयोग न करना	29.00
6	11	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0.33
7	13	सभा निधि से अनुचित व्यय	0.12
8	14	मूल्याँकन के बिना भुगतान करना	3.34

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बणी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-11-2017 से 22-11-2017 तक ग्राम पंचायत बणी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-1 5	1/2015	4/2014
2015-16	2/2016	12/2015
2016-17	2/2017	4/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बणी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 299 /2017 दिनांक 22-11-2017 **द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बणी से** अनुरोध किया गया|

4 वितीय स्थितिः-

ग्राम पंचायत बणी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्वः स्त्रोत :-**ग्राम पंचायत बणी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	421770.89	81505.00	503275.89	118547.00	384728.00
2015-16	384728.00	108787.00	493515.00	95290.00	398225.00
2016-17	398225.00	172449.00	570674.00	165073.00	405601.00

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत बणी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	932046.00	1935928.00	2867974.00	1473119.00	1394855.00
2015-16	1394855.00	2542251.00	3937106.00	1914086.00	2023020.00
2016-17	2023020.00	3713311.00	5736331.00	2836505.00	2899826.00

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बणी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर 8100 था जिसका समाधान विवरण **परिशिष्ट (2)** पर सलंग्न है|

1	रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष	405601
2	रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	2899826
	योग	**3305427**

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	**KCCB PRAGPUR**	**20073017715**	**2798204**
2	**KCCB PRAGPUR**	**50055916823**	**97291**
3	**KCCB PRAGPUR**	**50050987516**	**225766**
4	**CBI PRAGPUR**	**827**	**123131**
5	**KCCB PRAGPUR**	**50055916801**	**52300**
	CASH IN HAND	General Cash Book	00
		IWMP	**635**
		TOTAL	**3297327**

अन्तर = ₹3305427 – ₹3297327 = ₹8100

6 (1) बैंक पास बुक जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31-3-2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा परागपुर में बचत खाता संख्या 827 में ₹123131 जमा दर्शाए गये थे परन्तु न तो बैंक पास बुक और न ही बैंक प्रमाण पत्र आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाया गया जिस कारण उक्त बचत खाते में जमा राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(2) ग्राम पंचायत द्वारा **दिनांक 31-3-2017 को उपलब्ध करवाई गयी समाधान विवरणी में दर्शाया गया चेक संख्या A210847 दिनांक 31-3-2016 जो कि ₹8100 का था बैंक** द्वारा **इसे क्रेडिट नहीं किया गया है | नियमानुसार चेक की वैधता 3 मास होने के कारण इस राशी का शीघ्र समायोजन किया जाए |**

7 अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 का दिनांक 22.11.2017 का निरीक्षण प्रतिवेदनः–

(i) लैजर खातों का तैयार न किये जाने बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1) की अनुपालना में पंचायत द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों को तैयार किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई तथा किसी प्रकार के लैजर खाते का रख रखाव नहीं किया गया है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर खाते बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा अन्तशेष की जानकारी की उपलब्ध की जा सके। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस

कार्यप्रणाली बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लेजर खातों को नियमानुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।

(ii) समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। अतः पंचायत सचिव को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मासिक आधार पर समाधान विवरणी तैयार की जाए।

(iii) मस्ट्रोल में पाई गई विसंगतियाँः–

नियमानुसार प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन Paid Holiday दिया जाता है परन्तु ग्राम पांचयत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किये जाने के बावजूद भी उन्हें Paid Holiday नहीं दिया गया था जोकि नियमों की अवहेलना है।

इसके अतिरिक्त मस्टररोल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण न देकर इसे खाली रखा गया था जिस कारण मस्टररोल में किये गये कार्य तथा उसके विरूद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(iv) निविदाओं के बिना क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा निविदाओं के बिना निर्माण निर्माण सामग्री का क्रय किया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवही अमल मे लाना सुनिश्चित किया जाए।

(V) भण्डार रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 73 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार खरीदे गये सामान के लेखांकन तथा भण्डारण के सन्दर्भ में प्रावधित नियमों में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गये सामान का लेखांकन स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया गया। अतः पंचायत सचिव को सुझाव दिया जाता है कि भण्डार रजिस्टरों का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

8 सचिव द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करनाः–

सामान्य रोकड़ वही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में सचिव द्वारा लाखों रूपये की राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित

करके विभिन्न फर्मों तथा मजदूरों को भुगतान की है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है| अत: सचिव के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करने के प्रकरणों बारे स्थिति **स्पष्ट की** जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के **दुर्विनियोजन** की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है|

9 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधिके लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

10 पंचायत राजस्व की 0.27 लाख वसूली हेतु शेष :-

पंचायत सचिव बणी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹26925 वसूली हेतु शेष थी|

1. **गृहकर** :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	37725	21000	58725	10100	48625
2015-16	48625	21000	69625	44050	25575
2016-17	25575	42000	67575	40650	26925

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग तथा संग्रहण का रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर की मांग तथा संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग तथा संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

11 अनुदान ₹29.00 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान **₹2899826** उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी

वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

12 प्राप्त अनुदानों से ₹0.33 लाख का अधिक व्यय करना:-

सचिव ग्राम पंचायत बणी द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार SFC, MMGPY, MPLAD में दिनांक 31-03-2017 को ₹32596 ऋणात्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SFC, MMGPY, MPLAD में अथवा किसी अन्य योजना से SFC, MMGPY, MPLAD का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं|

SFC	(-)7010
MMGPY	(-)14238
MPLAD	(-)11348
	(-)**32596**

13 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

14 सभा निधि से ₹0.12 लाख का अनुचित व्यय :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार निम्नानुसार मदों के क्रय पर किया गया व्यय अनुचित प्रभार है जिसके बारे में नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशी की वसूली उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए |

वाउचर संख्या	मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि
9	4/2016	Refrigertor	1	9500	9500
		Clix chulah	1	3000	3000
				कुल योग	**12500**

15 मूल्याँकन के बिना ₹3.34 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्याँकन के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा | परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा** ₹**334484** का भुगतान मूल्याँकन के बिना किया गया | अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में मूल्याँकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
सामान्य रोकड़ बही			
10	4/2016	खाता पूर्ति शोचालय रंग रोगन व पूर्ति कार्या पंचायत घर	10272
11	4/2016	निर्माण सरायें टका वार्ड 4	28000
12	4/2016	निर्माण सरायें टका वार्ड 4	58237
13	4/2016	खाता पूर्ति शोचालय रंग रोगन व पूर्ति कार्या पंचायत घर	19053
15	4/2016	खाता पूर्ति शोचालय रंग रोगन व पूर्ति कार्या पंचायत घर	12840
16	4/2016	निर्माण सामुदायिक भवन टका	9048
MGNREGA			
4	4/2014	निर्माण कूहल तालाब अजमेर सिंह शाप वड से खड्ड	10764
5	4/2014	निर्माण कूहल जसवंत सिंह हॉउस से खड़ वेहड़	14628
6	4/2014	निर्माण कूहल जसवंत सिंह हॉउस से खड़ वेहड़	8832
1 से 7	4/2016	निर्माण लिंक रोड ट्का पलाइयां	53136
8 से 9	4/2016	निर्माण लिंक रोड SC बस्ती मटउमरां	9882
10 से 11	4/2016	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से ट्का पलाइयां	7776
12 से 21	4/2016	निर्माण लिंक रोड SC बस्ती मटउमरां	92016
			334484

16 मस्टरोल को सहभागी समिति तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

पंचायत बणी **द्वारा** लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए !

17 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा सम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव न करना:–

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति(अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए |

18 फार्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3), 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी| अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

20 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

21 **लघु आपति विवरणिका:**-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

22 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है|

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2) 167/2018 खण्ड–1–2892–2895 दिनांक 26.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बणी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881